

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of Article 48).

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशांबी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---